उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :71/2016/999/छप्पन-2016-47/2011

लखनऊ : दिनांक : 09 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन अनुभाग के आदेश संख्या- 1671/छप्पन-2011-41/2011, दिनांक 25.8.2011 द्वारा विंग कमाण्डर मानवेन्द्र कुमार पाण्डेय को नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर रूपये 1,80,000/- (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा नियमानुसार अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ता पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। उक्त के अनुक्रम में श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2011 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। तत्पश्चात कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2008/छप्पन-2013-47/2011, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2014 तक (एक वर्ष) के लिए उनकी संविदा अवधि बढ़ायी गयी थी। तत्क्रम में कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1032/छप्पन-2014-47/2011, दिनांक 07 जुलाई, 2014 द्वारा विंग कमां0 पाण्डेय की संविदा अवधि अग्रेत्तर 02 वर्ष (दो वर्ष) दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2016 तक रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के मासिक पारिश्रमिक पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ायी गयी थी। चूँकि विभाग को विंग कमां0 पाण्डेय की सेवाओं की अभी और आवश्यकता है तथा उन्होंने अपने पत्र दिनांक रहित द्वारा आगे भी सेवा करने की विभाग को सहमति दी है। अतः श्री राज्यपाल विंग कमाण्डर मानवेन्द्र पाण्डेय को पायलट (फिक्स्ड विंग) के रूप में वर्तमान नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 5.25 लाख (रूपये पॉच लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा नियमानुसार अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ता एवं शासनादेश दिनांक 9.9.2014 के अनुसार देय वार्षिक वेतनवृद्धि के आधार पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रेत्तर 02 वर्ष (दो वर्ष) अर्थात दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक की संविदा अवधि बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- विंग कमा0 मानवेन्द्र कुमार पाण्डेय, पायलट को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक एवं विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त पूर्व शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम- 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- विंग कमा0 मानवेन्द्र कुमार पाण्डेय से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

विंग कमा0 मानवेन्द्र कुमार पाण्डेय, पायलट (संविदा सेवा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

संख्या : 71/2016/999(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि विंग कमा0 मानवेन्द्र कुमार पाण्डेय, पायलट (फिक्स्ड विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा/हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- नियोजन अनुभाग-4

9- सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in